**JALAUN POLICE**

## दिनांक –26.11.2024

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 03 अभियुक्तण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम**– अभियुक्त विनोद अहिरवार उर्फ बन्टे पुत्र जगदीश नि0 खेड़ा चौकी के पास कोंच कोतवाली कोंच जनपद जालौन द्वारा हत्या की घटना कारित करने पर वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 15.06.2020 को कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 121/2020 (वाद संख्या 118/20) धारा 302 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था एवं दिनांक 19.06.2020 को आरोपी विनोद अहिरवार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 10.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 26.11.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त विनोद अहिरवार उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण द्वितीय** – कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 251/2004 धारा 3/11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधि0 बनाम 1. अफसर हुसैन पुत्र शरीफ कुरैशी 2. सईद अहमद पुत्र कल्ला कुरैशी निवासीगण आराजी लाइन कोतवाली कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1.अफसर हुसैन 2. सईद अहमद उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 250-250/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।